विश्व के पत्तन विशेषज्ञों का दल

*937. श्री ग्रोंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री देवव्रत बरूग्रा :
श्री रा० रा० सिंह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री 16 फरवरी, 1968 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 750 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिये विश्व के पत्तन विशेषज्ञों का जो दल हाल में भारत ग्राया था, क्या उसने ग्रपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) उस दल द्वारा किन किन स्थानों का दौरा किया गया ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो पत्तनों का सुधार करने के लिये उस दल ने क्या सुझाव दिये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) ग्रभी तक नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) दल ने दिल्ली तथा बम्बई, कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम, मद्रास, कोचीन, मारमोगाव ग्रौर कांडला के बड़े पत्तनों का दौरा किया । दल के दो सदस्यों ने केन्द्रीय जल एवं विद्युत ग्रनुसंधान केन्द्र पूना का भी दौरा किया ।

(ग) दल के सदस्य ग्रपना ग्रध्ययन पूर्ण करने के पश्चात ग्रपने संबद्ध देशों को वापस चले गये हैं । ग्राशा है सरकार को उनकी रिपोर्ट ग्रप्रैल, 1968 के लगभग मध्य तक प्राप्त हो जायेगी ।

Sea Freight Rates

*938. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state:

(a) whether the question of reducing the sea freight rates was discussed at a Committee of UNCTAD II; and

(b) if so, the result thereof?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO): (a). Yes, Sir. The subject was discussed by the 4th Committee of UNCTAD-II.

(b) A resolution dealing with freight rates and Conference practices was suggested by the 4th Committee and was unanimously adopted at the Conference. The relevant portion from the resolution reads as follows:—

"The Conference...... Recommends that the Governments of States members of UNCTAD, particularly of those developed maritime nations whose shipowners have a predominant participation in the liner conferences, invite the Conferences and equivalent organizations, directly or through the shipowners members of them to take into account the following areas of possible action:

(a) to review and adjust if necessary freight rates which shippers and other interested parties of developing countries consider to be high, bearing in mind the importance of as low a level of freight rates for the traditional exports of developing countries as is commercially possible;

(b) to provide special freight rates for non-traditional exports in order to promote the expansion of the trade of developing countries subject to the provision at (a);